<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)</u>

लिंक पीठासीन अधिकारीः- **आशीष कुमार कुमावत,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः- **135/2026 (CIS N. 154/2026)**
विजेन्द्र उर्फ मोटिया पुत्र कालूराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 55 झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज०) **...प्रार्थी/अभियुक्त**

//बनाम//

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०) **....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
बमुकदमा एफआईआर संख्या 19/2026 पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं
<u>अन्तर्गत धारा 303(2),112(2) भारतीय न्याय संहिता</u>

<u>उपस्थितः-</u>
1 श्री रामसिंह, विद्वान चीफ लगल एड डिफेंस काउंसिल वास्ते प्रार्थी
2 श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

<u>आदेश</u> **दिनांकः- 12.03.2026**

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त विजेन्द्र उर्फ मोटिया की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 09.03.2026 को धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया के अवकाश पर होने से यह जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.2026 को परिवादी सुनील कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं पर इस आशय की प्रस्तुत की कि उसने अपनी मोटरसाइकिल आरजे 18 सीएस 2840 को भादरा हुक्का सेंटर वाली गली रोड़ नंबर 3 पर खड़ी की थी जिसको दिनांक 28.01.2026 को सांय छः बजे संभाला तो नहीं मिली इत्यादि। इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 19/2026 अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 01.03.2026 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान के अतिरिक्त पांच अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है।

5. विद्वान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को इस प्रकरण में झूठा आलिप्त

किया गया है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी दिनांक 01.03.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध किया गया।

6. उभयपक्ष को सुनकर केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 303(2)112(2) भारतीय न्याय संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध आरोप है। प्रार्थी दिनांक 01.03.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा विचारणीय है जिसके विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मैं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित समझता हूं।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विजेन्द्र उर्फ मोटिया** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं की संतुष्टिप्रद पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए की दो मोतबिर जमानते और पचास हजार रूपए का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

8. न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(आशीष कुमार कुमावत)
''लिंक अधिकारी''
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

9. आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आशीष कुमार कुमावत)
''लिंक अधिकारी''
सेशन न्यायाधीश
झुनूं (राज०)

SUBHASH CHANDRA SONI
Digitally signed by SUBHASH CHANDRA SONI
Date: 2026.03.13 11:20:28 +0530